भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *62

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

एनएचएआई की परियोजना में अनियमितताएं

*62. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में धुले-पिंपलगांव खंड के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के 265वें किलोमीटर से 380वें किलोमीटर तक मौजूदा दो लेन वाले कैरिजवे को चौड़ा करके उसे चार या छह लेन वाला विभक्त कैरिजवे बनाने से संबंधित परियोजना के अंतर्गत की गई अनियमितताओं और निम्न स्तर के कार्य के संबंध में की गई शिकायतों का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कोई जांच शुरू की है, यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विगत दस वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा सड़कों के निर्माण में अनियमितताओं तथा प्राधिकरण के अधिकारियों और सड़क निर्माण कंपनियों के बीच मिलीभगत से किए जाने वाले भ्रष्टाचार के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें से ऐसे मामलों की कुल संख्या और मामला-वार ब्यौरा क्या है जिनमें कोई कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"एनएचएआई की परियोजना में अनियमितताएं" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *62 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) एनएच-3 के धुले-पिंपलगांव खंड के 265.00 किमी से 380.000 किमी तक चार लेन बनाने के कार्य को सितंबर 2011 में निर्माण संचालन हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) मोड में पूरा किया गया था। वर्तमान में, परियोजना ओ एंड एम चरण में है और बीओटी रियायत अवधि अप्रैल 2026 तक है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, मौजूदा 2-लेन से 4-लेन के उन्नयन के दौरान अनियमितताओं और घटिया कार्य के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले दस वर्षों में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित कुल 6 मामले दर्ज किए हैं। विवरण **अनुलग्नक-'क'** में संलग्न हैं। इसके अलावा, पिछले 03 वर्षों में ठेकेदार/रियायतग्राही/परामर्शदाता/अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक 'ख'** में संलग्न है।

अनुबंध-क

"एनएचएआई की परियोजना में अनियमितताएं" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *62 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एनएचएआई में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का विवरण:

क्र. सं.	**आर सी सं.**	**वर्तमान स्थिति**
1.	आरसी2182024ए0008 दिनांक 03.03.2024	एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई है।
2.	आरसी0082023ए0013 दिनांक 23.07.2023	एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई है।
3.	आरसी2182025ए0007 दिनांक 22.03.2025	एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई है।
4.	आरसी2172025ए017 दिनांक 11.07.2025	एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई है।
5.	आरसी2182024ए0012 दिनांक 08.06.2024	एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई है। सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के तहत बड़ी शास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही भी इस मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एक अधिकारी पहले ही मूल नियम के नियम 56 (जे) और एनएचएआई (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) 1996 के विनियम 10 के तहत 27.09.2024 के आदेश के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो चुका है।
6.	आरसी0232022ए0010 दिनांक 23.09.2022 आरसी0232022ए0015 दिनांक 23.12.2022	एनएचएआई द्वारा दिनांक 03.02.2023 के आदेश के माध्यम से एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19 के तहत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अनुबंध-ख

"एनएचएआई की परियोजना में अनियमितताएं" के संबंध में डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *62 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न कारणों से खराब गुणवत्ता/अवसंरचनात्मक विफलता के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान ठेकेदारों/रियायतग्राहियों/परामर्शदाताओं/अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, एनएच कार्यों में भाग लेने से रोक, दंड आदि, निम्नानुसार है:

ठेकेदार/रियायतग्राही			परामर्शदाता			
फर्मों की संख्या, जिनके खिलाफ दंड लगाया गया है	मौद्रिक दंड (करोड़ रु.)	प्रतिबंधित/समाप्त /निलंबित फर्मों की संख्या	फर्मों की संख्या, जिनके खिलाफ दंड लगाया गया है	मौद्रिक जुर्माना (करोड़ रु.)	प्रतिबंधित /समाप्त /निलंबित फर्मों की संख्या	निलंबित/प्रतिबंधित प्रमुख कार्मिकों की संख्या
55	298	22	27	4	28	18

इसके अलावा, 11 अधिकारियों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन और 11 अधिकारियों पर की गई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के कारण उन्हें सेवा से हटा दिया गया था।

*****